संख्या– /बीस–4/2016–3(1)/200

प्रेषक,

उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 01 जून, 2016

विषय–चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की अधिसूचना संख्या–823/XX(4)–01/उ0आ0/2009–1–(1), दिनांक 05–11–200 के द्वारा उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन को विनियमित कर सम्बन्धी नियमावली, 2009 का प्रख्यापन करते हुये राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल ग अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल आन्दोलनकारी, जो कि शासनादेश संख्य 1269/तीस–2/2004, दिनांक 11–08–2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थ लेकिन किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये हो, हेतु रू0 3000/– प्रतिमाह की दर से उन जीवन काल के लिये पेंशन अनुमन्य की गयी है, जिसे शासनादेश संख्या–555/बीस–4/ 2013–3(1)/2009, दिनांक 25–03–2013 द्वारा बढ़ाकर रू0 5000/– प्रतिमाह किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान समस्त ऐसे चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को, जिन्हे अभी तक आन्दोलनकारी पेंश अथवा किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं है अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजि नहीं है, रू0 3100/– प्रतिमाह की दर से उनके जीवन काल के लिये पेंशन अनुमन्य किये जा का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में यथाप्रकिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हु कृत कार्यवाही से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 53NP/XXVII(5)/16–17, दिनांक 01 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 533 /बीस–4/2016–3(1)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड वैभव, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।